रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 1969/आश्विन 1, 1891
No. 160] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 1969/ASVINA 1, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY

(Department of Foreign Trade)

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd September, 969

No. 7(1)-MDF/69.—Under their Resolution No. 10(1)/EP(Coord)/1 dated the 5th July, 1963, the erstwhile Ministry of Commerce and Industry, (Department of International Trade) had established the Marketing Development Fund setting out the various forms of assistance which will be made available thereunder. The Government have now decided that the Fund may be utilised also for export assistance on local sales made against foreign credits resulting in foreign exchange accrual to the country. It has, therefore, become necessery to make consequential amendments in the aforesaid Resolution as follows:—

1. Para 2 of the Resolution may be amendment to read as 2(i).
2. Under Para 2(i) the following para may be added as para 2(ii).

"2(ii) The MDF will also be utilised for export assistance on local sales made against foreign credits resulting in foreign exchange accrual to the country."

3. Para 3 may be amended as follows:

The Fund will consist of the provisions made in the Central Budget under Grants for Export Promotion and Marketing Development Scheme and such other amounts as may be credited to the Fund from time to time.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. C. BANERJEE, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय

(विदेशी व्यापार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1969

सं० 7(1)/69-एम० डी० एफ०:—भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग) ने अपने संकल्प सं० 10(1)/63 ई० पी० (कोआर्ड)/1 दिनांक 5 जुलाई, 1963 के अधीन विपणन विकास निधि की स्थापना की थी और उसके अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली अनेकरूपी सहायता की घोषणा की गयी थी। सरकार ने अब यह विनिश्चय किया है कि विदेशी ऋणों के एवज में स्थानीय बिक्रियों पर, जिनसे देश को विदेशी मुद्रा का उपार्जन हो, निर्यात सहायता हेतु भी निधि का उपयोग किया जा सकेगा। अतः उपरोक्त संकल्प में निम्नलिखित परिणामी संशोधन करना अनिवार्य हो गया है :—

1. संकल्प के पैरा 2 में संशोधन करके उसे 2(1) पढ़ा जाये।

2. पैरा 2(1) के अन्तर्गत पैरा 2(11) के रूप में निम्नलिखित पैरा जोड़ दिया जाये।

"(2)(ii) विदेशी ऋणों के एवज में स्थानीय बिक्रियों पर, जिनसे देश को विदेशी मुद्रा का उपार्जन हो, निर्यात सहायता हेतु भी विपणन विकास निधि का उपयोग किया जा सकेगा।"

3. पैरा 3 निम्नलिखित रूप में संशोधित कर दिया जाये, निधि में निर्यात संवर्धन तथा विपणन विकास योजना हेतु अनुदानों के अन्तर्गत केन्द्रीय बजट में निर्धारित राशियां तथा ऐसी अन्य राशियां शामिल है जो निधि में समय समय पर जमा की जायेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी हेतु संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

ए० सी० बनर्जी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969